सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 561

12 आश्विन 1929 शकाब्द

राँची, वृहस्पतिवार 4 अक्टूबर, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2007

संख्या एल०जी०-15/2002-49/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 14 अप्रैल, 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2006

[झारखण्ड अधिनियम, 12, 2007]

झारखण्ड राज्य में लागू होने की सीमा तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) को पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** -
(1) यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. **धारा 167 का संशोधन** :- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) में, झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग में :-

(1) खण्ड (ख) में शब्द ''समक्ष'' एवं ''पेश'' के बीच निम्नलिखित अंश अन्त:स्थापित किये जायेंगे -
''सशरीर या इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से''

(2) खण्ड (ख) के पश्चात् एक परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा - ''परन्तु कोई व्यक्ति अभिरक्षा में बिना उसकी सशरीर पेशी के, यदि वह पुलिस अभिरक्षा में हो, प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकेगा ।''

(3) धारा 167 के ही अधोभाग में अंकित ''स्पष्टीकरण''-*II* में शब्द ''समक्ष'' एवं ''पेश'' के बीच निम्नलिखित अंश अन्त:स्थापित किये जायेंगे -
''सशरीर या यथास्थित इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना
4 अक्टूबर, 2007

संख्या एल०जी०-15/2002-50/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 14 अप्रैल, 2007 को अनुमत दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2007) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

The code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) ACT, 2006
[JHARKHAND ACT 12, 2007]

AN ACT further to amend the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislaive Assembly of the State of Jharkhand in the Fifty Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extents and commencement :-**
   (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Jharkhand Amendment) Act, 2006.
   (2) It extent to the whole of the State of Jharkhand.
   (3) It shall come into force from the date of notification in the official gazette.

2. **Amendment of Section 167** :- In the Code of Criminal Procedure, 1973, in Section 167, in its application to the State of Jharkhand, in sub-section (2), :-
   (i) To clause (b), the following shall be added at the end, namely:- "either in person or through the medium of electronic video linkege."
   (ii) After clause (b) a proviso shall be added, namely :-
   "Provided that no person shall be remanded in custody without his physical production if the said person is in police custody."
   (iii) In the explanation II thereunder, for the words "an accused person was produced" the words "an accused person was produced in person or as the case may be through the medium of electronic video linkage" shall be substituted.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 561--300+400--शनि मुण्डा ।